कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 28.11.2016

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2016 को सांय 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में M/s KVR Constructions,Devangere को अनुबंध सख्या 16/2014–15 के अन्तर्गत आवंटित कार्य "Construction of 44 Nos. Micro Irrigation Project including survey, investigation, planning, disign, drawing, with all activities required for acquisition of land for MIP at locations in Pratapgarh District of Rajasthan in Chambal river Basin." के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लिया:–

1. श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री विनोद शाह, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री राजेन्द्र कुमार पारीक, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर द्वारा अधिकृत)

अधिशाषी अभियन्ता, जल ससांधन खण्ड, प्रतापगढ प्रतिपक्ष की ओर से उपस्थित हुये तथा श्री प्रवीण कुमार (टीकु), अधिकृत प्रतिनिधि क्लेमेण्ट की ओर से उपस्थित हुए। कमेटी द्वारा क्लेम्स, विभागीय जवाब एवं तथ्यों और अभिलेखों का अवलोकन किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस को सुना जाकर क्लेम वाईज निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:–

Claim No. 1- Payment of executed work but not paid Rs. 32700000.00

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि राशि रूपये 3.07 करोड का कार्य सम्पादित कराया गया परन्तु विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया एवं राशि रूपये 20.00 लाख की सामग्री साईट पर मौजूद है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य प्रारम्भ करने एवं समाप्त करने की दिनांक 23.01.2015 एवं 22.01.2016 थी। संवेदक द्वारा अनुबंध राशि 4917.19 लाख के विरूद्ध माह जुलाई तक मात्र 221 लाख कार्य ही सम्पादित किया गया इस प्रकार उनके द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार कार्य की प्रगति कायम नहीं रखी गई। अतः उनके विरूद्ध अनुबंध के क्लाज 2 के तहत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि 5,06,47,134/– अधिरोपित करते हुए संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर कार्य कराये जाने के आदेश जारी किये गये जो अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार होने के कारण क्लेम निरस्त योग्य है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं अनुबंध के क्लाज 2 एवं 3 का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.2- Price Escalation for executed work under clause 45 of agreement Rs. 873000.00

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि किये गये कार्य का प्राइस एस्क्लेशन दिया जावें।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के अनुसार प्रोरेटा प्रोग्रेस संधारित नहीं किये जाने के कारण श्रीमान् उप सचिव एवं प्रादै. सहायक वास्ते मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक F-2(107)AS/I/Cell/14/2935 Dated 28.07.2015 के द्वारा संवेदक के विरूद्ध अनुबंध के क्लाज 2 के तहत कार्यादेश राशि रू. 506471339.00 की 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि रू. 50647134.00 की आरोपित की गई। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की मूल्यवृद्धि भुगतान कार्य अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय पर पूर्ण करने पर ही देय होता है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.3- Withdrawal of action taken under Clause 2 and 3 of Agreement Rs. 50647134.00

3.1 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि मुझे मौके पर 44 साइट में से 19 साईट मात्र ही कार्य करने हेतु सौंपी गई तथा 25 साईट विवादित होने के कारण कार्य नहीं हो सकता था। अतः विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति आरोपित करना गलत है। यह भी स्पष्ट किया कि 19 कार्यों की कीमत 16 करोड है एवं 25 कार्यों की कीमत 34.64 करोड है। 25 कार्यों की लागत पर क्षतिपूर्ति आरोपित करना गलत है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 23.01.2015 एवं कार्य समाप्ति की दिनांक 22.01.2016 निर्धारित थी इस अवधि में संवेदक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ समय-समय पर प्रगति बढाने हेतु संवेदक को पाबन्द किया गया परन्तु मात्र दो कार्य ही चालू करने एवं सोइल सेम्पल टेस्ट रिजल्ट प्राप्त नही करने तथा 44 कार्यो में से एक भी कार्य के भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव तैयार नहीं करने एवं 11 कार्यों की डिजाईन आई. डी. एण्ड आर. को प्रस्तुत करने आदि कार्यों में प्रगति नगण्य होने के कारण क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

3.2 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 19 साईटस 16 करोड़ लागत की ही विभाग सुपुर्द कर पाया तथा 25 साईटस लागत 34.64 करोड़ सुपुर्द नहीं कर पाया तथा मृदा परीक्षण एवं डिजाईन एवं ड्राइंग समय पर स्वीकृत करवाने में विभाग का असहयोग रहा जिससे विलम्ब हुआ। यदि समय पर स्वीकृति एवं मुआवजा प्रकरण हेतु आवश्यक रेवेन्यु रिकोर्ड मिल जाता जो कम्पनी द्वारा 3.03 करोड़ की बुकिंग हो सकती थी।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के अनुसार दिनांक 23.01.2015 को कार्य प्रारम्भ करने एवं दिनांक 22.01.2016 तक पुर्ण करने की अवधि निर्धारित

की गई थी। संविदा के अनुसार संविदा की धारा 2 की शिड्युल "एफ" के अनुसार निम्नानुसार कार्य सम्पादित करना था :–

S.No.	Quarter	Target	Achievement	Remarks +/-
1	I[st] Quarter 22.04.2015	6.33 Crores	-	-6.33 Crores
2	II[nd] Quarter 22.07.2015	18.99 Crores	2.21 Crores	-16.78 Crores
3	III[rd] Quarter 22.10.2015	37.98 Crores	-	-
4	IV[th] Quarter 22.01.2016	50.64 Crores	-	-

उपरोक्त शिड्यूल से स्पष्ट होता है कि संवेदक द्वारा शिड्युल "एफ" के अनुसार नियमानुसार प्रोरेटा प्राग्रेस का संधारित नही किया गया है जिस कारण संवेदक के विरुद्ध धारा 2 व 3सी की कार्यवाही संक्षम स्वीकृति के पश्चात की गई है। अतः क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

दोनो पक्षों की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

3.3 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा हमें न्याय नहीं मिला क्योंकि 19 साईट ही मौक पर क्लीयर थी जिनकी लागत 16 करोड़ रूपये थी जबकि 44 कार्यों की लागत 50.64 करोड़ है इस प्रकार पूरी राशि पर क्षतिपूर्ति आरोपित करना न्याय संगत नहीं है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 23.01.2015 एवं कार्य पूर्ण करने की दिनांक 22.01.2016 निर्धारित की गई थी जिसका एक वर्ष में कार्य पूर्ण करना था, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य पर वांछित प्रगति अर्जित नही किये जाने के कारण संवेदक एंव विभागीय अधिकारीयों के साथ समय–समय पर बैठक आयोजित कर प्रगति बढ़ाने बाबत् संवेदक को पाबन्द किया गया परन्तु मात्र दो कार्य ही चालू करने एवं सोइल सेम्पल टेस्ट रिजल्ट प्राप्त नहीं करने तथा 44 कार्यो में से एक भी कार्य के भूमि अवाप्ति के प्रस्ताव तैयार नहीं करने एवं 11 कार्यों की डिजाईन आईडीआर को प्रस्तुत करने आदि कार्यों में प्रगति नगण्य होने के कारण क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

3.4 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि प्रकरण में 50.64 करोड़ रूपये पर क्षतिपूर्ति आरोपित करना जबकि कार्य 19 साइट का जिसकी लागत 16.00 करोड़ है तथा 25 कार्यों की लागत 34.65 करोड़ है इस प्रकार पूरी लागत पर क्षतिपूर्ति आरोपित करना मेरे लिए न्यायसंगत नहीं है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 23.01.2015 एवं कार्य पूर्ण करने की दिनांक 22.01.2016 निर्धारित की गई थी जिसका एक वर्ष में कार्य पूर्ण करना था। इस अवधि में एक वर्ष में 44 एम.आई.पी. कार्यो को चालु कर पूर्ण करना था, परन्तु संवेदक द्वारा कार्य पर वांछित प्रगति अर्जित नही किये जाने

के कारण खण्ड प्रतापगढ़ के कार्यालय में संवेदक एंव विभागीय अधिकारीयों के साथ समय–समय पर बैठके आयोजित कर प्रगति बढ़ाने बाबत् संवेदक को पाबन्द किया गया।

सोईल टेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने, भूमि अवाप्ति के एक भी प्रस्ताव को प्रस्तुत नही करने तथा दिनांक 30.06.2015 तक 30 कार्य प्रारम्भ कर 15 कार्यो को पूर्ण करने आदि विषयों पर गम्भीरता से चर्चा की गई। जिसे संवेदक ने बैठक में उपरोक्तानुसार कार्य पूर्ण करना स्वीकार भी किया था परन्तु कार्यो को चालू करने में संवेदक के स्तर से कोई प्रयास नहीं किया गया। इसलिये संवेदक द्वारा लिखा गया कथन असत्य है। विभाग द्वारा नियमानुसार ही कार्यवाही अमल में लाई गई है, जो संविदा की शर्तो के अधीन है। अतः क्लेम को खारिज किये जाने योग्य है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन उपरान्त यह पाया कि यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.4- Idle charges for men, machinery and equipment Rs. 3320000.00

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि मौके पर गैन पावर, मशीनरी एवं अन्य उपकरण विभाग द्वारा 2 माह तक कार्य नहीं दिये जाने के कारण आईडल रहे जिसके कारण राशि रूपये 3320000.00 दिलाया जावें।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि "कार्य आवंटित होने के पश्चात् 2 माह तक उसकी मशीनरी आईडल पडी रही" संवेदक का यह कथन असत्य है। संविदा के अनुसार दिनांक 23.01.2015 को कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक निर्धारित की गई थी। संवेदक द्वारा दिनांक 02.04.2015 तक कोई भी मशीनरी साईट पर उपलब्ध नही कराई जिसकी पुष्टि खण्ड प्रतापगढ़ मुख्यालय पर रिकार्ड अनुसार दिनांक 02.04.2015 को आयोजित बैठक में स्वयं संवेदक ने यह स्वीकार करते हुये यह इकरार (Commitment) किया की दिनांक 06.04.2015 तक 1 Hitachi, 3 Dumper, 1 Roller आदि मशीनरी साईट पर पहुंचा दी जायेगी। अतः संवेदक का क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

संवेदक द्वारा ऐसा कोई अभिलेख एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि विभाग के कारण उसकी श्रम सामग्री एवं मशीन बेकार खड़ी थी। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.5- Extra expenditure incurred on survey work on changed location Rs. 3200000.00

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि विवादित साईटों पर कार्य नहीं होने के कारण 9 साईटस पर अलग से सर्वे वर्क पूर्ण किया जिसमें 27.00 लाख का राशि खर्च दिलाया जावें।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि रिकार्ड के अनुसार 20 कार्यों को प्रारम्भ करने का आश्वासन दिनांक 20.04.2015 दिया था परन्तु संवेदक द्वारा मात्र दो कार्य ही चालू करने एवं सोइल सेम्पल टेस्ट रिजल्ट प्राप्त नहीं करने तथा 44 कार्यो में से एक भी कार्य के भूमि अवाप्ति

के प्रस्ताव तैयार नहीं करने एवं 11 कार्यों की डिजाईन आईडीआर को प्रस्तुत करने आदि कार्यों में प्रगति नगण्य होने के कारण क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त योग्य हैं ।

क्लेमेन्ट इस क्लेम के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.6- Loss of contractor profit 14% on allotted work Rs. 70905980.00

6.1 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि अधीक्षण अभियन्ता के दिनांक 18.07.2015 के निरीक्षण के दौरान 25 साईट विवादित बताई गई थी जिसमें विभाग पूरी साईटें सौंपने में असमर्थ रहा।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि समय–समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा ली गई बैठकों में संवेदक द्वारा 20 कार्यो को प्रारम्भ करने का आश्वासन देने के उपरान्त भी केवल 2 कार्य ही प्रारम्भ किये। संवेदक का यह कथन असत्य है। अतः क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन एवं आपसी विचार विमर्श उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

6.2 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि आईडीएण्ड आर द्वारा सोइल सेम्पल टेस्ट देरी से देने के कारण विलम्ब हुआ। प्रारम्भ में सोइल टेस्ट राहुल इंजीनियर्स लेबोरेट्री, उदयपुर को भिजवाये जिसमें मात्र 8 प्रकार के परीक्षण का ही अंकन किया गया तथा इन परीक्षण में कमियां बताते हुए पुनः 11 प्रकार के पृदा परीक्षण करवाये जाने बाबत विभाग की द्रव्य परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर से कराये जाने के निर्देश दियें। इस प्रकार मृदा परीक्षण में भी अनावश्यक रूप से 5–6 माह का समय व्यीतीत किया गया।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि समय–समय पर विभाग द्वार सोइल टेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु संवेदक द्वारा टेस्टिंग चार्जेज समय पर जमा नही कराये जाने के कारण विलम्ब हुआ है। अतः क्लेमेन्ट का क्लेम निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

6.3 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि डिजाइन एवं ड्राइंग की स्वीकृति में विभाग द्वारा ही विलम्ब हुआ है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के अनुसार 44 एम.आई.पी कार्यो की ड्राईग एवं डिजाईन अनुमोदित कराने का कार्य संवेदक को अपने स्तर पर कराना था, जिसके विलम्ब के लिये संवेदक स्वय जिम्मेदार है। संवेदक का यह कथन असत्य है। अतः क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

6.4 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि 9 साईटों की रिलोकेटेड साईट्स की सर्वे का कार्य किया जिसे पुनः नहीं करना पडेगा इसमें मेरी अतिरिक्त राशि खर्च हुई जिसका खामियाजा दिलाया जावें।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के अनुसार समस्त साईटों का सर्वे का कार्य संवेदक को अपने स्तर पर कराना था, जिसके विलम्ब के लिये संवेदक स्वयं जिम्मेदार है। संवेदक का यह कथन असत्य है। अतः क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

अनुबंध के प्रावधानों के अवलोकन उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

6.5 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि मुझे विभाग द्वारा सजरामेप एवं जमाबंदी आदि का रेवेन्यु रिकोर्ड समय पर दिलान में असमर्थ रहा इस लिए मुआवजा प्रकरणों में देरी हुई इस हेतु विभाग जिम्मेदार है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संविदा के अनुसार समस्त एम.आई.पी कार्यो की भूमि अवाप्ति सम्बंधी समस्त कार्य संवेदक को अपने स्तर पर कराने थे, जिसके विलम्ब के लिये संवेदक स्वयं जिम्मेदार है। संवेदक का यह कथन असत्य है। अतः क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने अनुबंध के अवलोकन उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

6.6 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा काश्तकारों को कार्य शुरू करने के समय आये व्यवधानों की समझाईश करने में विफल रहा। जिससे कार्य समय पर प्रारम्भ नही किये जा सके इस हेतु विभाग जिम्मेदार है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के अनुसार 44 कार्यो का निर्माण पूर्ण करना था तथा संवेदक द्वारा 30 कार्यो को प्रारम्भ करने की स्वीकारोक्ति दी थी परन्तु संवेदक असफल रहा। अतः क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन उपरान्त कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची की यह क्लेम उपयुक्त नही है। अतः इस क्लेम को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

6.7 संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि अनुबंधानुसार द्वितीय माईलस्टोन के पूर्ण होने पर अनुबंध खत्म करने का निर्णय लिया जबकि दो माईलस्टोन पीरियड शेष है। बीच में ही अनुबंध तोड़ने से मुझे 14 प्रतिशत की हानि होती है जो दिलाई जावे।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक द्वारा संविद की धारा 2 की शिड्यूल "एफ" के अनुसार प्रोरेटा प्रोग्रेस संधारित करने के लिये विभाग द्वारा बार–बार बैठको में संवेदक को निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी संवेदक द्वारा प्रोरेटा प्रोग्रेस संधारित नही किये जाने के कारण श्रीमान् उप सचिव एवं प्रावै. सहायक वास्ते मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक F-2(107)AS/I/Cell/14/2935 Dated 28.07.2015 के द्वारा संवेदक के विरूद्ध अनुबंध के क्लाज 2 के तहत कार्यादेश राशि रू. 506471339.00 की 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि रू. 50647134.00 की आरोपित की जाने एवं क्लॉज 3 सी के तहत

रिस्क एण्ड कॉस्ट पर अन्य ऐजेन्सी से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः क्लेम को खारिज किये जाने योग्य है।

दोनो पक्षो की बहस सुनने, तथ्यो एवं उपलब्ध अभिलेख का गहन अवलोकन उपरान्त पाया कि संवेदक द्वारा कार्य की प्रगति कायम नहीं रखी गई। अतः उनके विरूद्ध अनुबंध की धारा 2 एवं 3 के तहत कार्यवाही की गई है। अतः यह क्लेम उपयुक्त नहीं होने के कारण खारिज करने का निर्णय लिया गया।

Claim No.7- संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि Arbitration and Conciliation Act 1996 के section 31 (7) के अनुसार क्लेम राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज राशि दिलायी जावे।

संवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी क्लेम उपयुक्त नहीं पाया गया। अतः क्लेम्स पर ब्याज दिये जाने का क्लेम भी निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

(राजेन्द्र कुमार पारीक) अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, उदयपुर	(विनोद शाह) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज. जयपुर	(लोकेश तिवाड़ी) संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि विधि विभाग	(जाकिर हुसैन) संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग	(शिखर अग्रवाल) शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।